



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 13 सितम्बर 2023,

थाना ककोड

कुख्यात/गैंगस्टर अपराधी द्वारा अपराध कारित करके सृजित सम्पत्ति कीमत लगभग 11.71 लाख रुपये कुर्क की गयी-

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 12-09-2023 को उपजिलाधिकारी सिकन्द्राबाद मय राजस्व टीम, क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद व थाना प्रभारी ककोड मय पुलिस टीम द्वारा कुख्यात/गैंगस्टर **कदीर पुत्र इब्राहिम निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा व थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर** द्वारा समाज विरोधी क्रिया-कलाप कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त कर सृजित/क्रय की गयी अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 11.71 लाख रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।

जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

- 1- 01प्लाट (क्षेत्रफल 0.0167 हेक्टेयर)
- 2- कुल कीमत 11.71 लाख रुपये।

अभियुक्त कदीर का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-122/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 506 भादवि थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-182/18 धारा 3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधि0 थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं-222/18 धारा 504,506 भादवि थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं 317/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

कार्यवाही करने वाली प्रशासन/पुलिस टीम का विवरण-

- 1- श्री शिवैतार सिंह उपजिलाधिकारी(न्यायिक) सिकन्द्राबाद मय राजस्व टीम।
- 2- श्री विकास प्रताप सिंह चौहान क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद
- 3- श्री अजय कुमार सिंह थाना प्रभारी ककोड मय पुलिस टीम।



मीडिया सैल बुलन्दशहर